सेवामें,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली

द्वारा–जिला कलेक्टर.....जिला.....राजस्थान।

विषयः–राजकीय संस्थाओं/विभागो के निजीकरण व निगमीकरण से अनूसूचित जाति,जन जाति वर्ग को होने वाले नुकसान के कारण निजिकरण की प्रकिया तत्काल रोकने बाबत।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विगत वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा लगातार राजकीय उपक्रमों का निजिकरण व विनिवेश द्वारा निगमीकरण किया जा रहा है इसमें अनेक नवरत्न कम्पनियॉ और राजकीय विभाग/संस्थाऐं शामिल है जिनमें मुख्य रूप से हैं–

- ❖ जयपुर व मुम्बई जैसे बडे एयरपोर्ट सहित देश के अनेक एयरपोर्ट का निजिकरण।
- ❖ भारतीय रेल–151 ट्रेन चलाने का निजि क्षेत्र को देने का निर्णय व टेण्डर जारी।
- ❖ अनेक बडे रेल्वे स्टेशन निजि क्षेत्र को दिए गऐ–जिसमें अमृतसर, ग्वालियर, नागपुर तथा साबरमती जैसे बडे स्टेशन शामिल।
- ❖ भारतीय रेल में पहले सफाई कार्य को आउटसोर्स किया गया जिससे रेलवे में सफाईवाला के पद समाप्त
- ❖ धीरे–धीरे अन्य विभागों के कार्य आउटसोर्स कर अनेकों पद समाप्त कर दिए गए। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल का कैडर जो कभी लगभग 16.00 लाख था वह घटकर लगभग 13.00 लाख हो गया है।
- ❖ रेल उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण के आदेश
- ❖ रेल्वे के उक्त निर्णयों से उक्त विभागों में 50 प्रतिशत रिक्तियां समाप्त –जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आरक्षित पद भी शामिल ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे–धीरे रेल का निजीकरण किया जा रहा है जिसका अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के रोजगार पर सीधा–सीधा असर पड़ रहा है क्योंकि निजी क्षेत्र में इन वर्गों के लिये आरक्षण नहीं है।
- ❖ तेल कम्पनी भारत पेट्रोलियम का निजिकरण–शीघ्र विदेशी हाथों में होगा यह उपक्रम।
- ❖ LIC,BHEL, GAIL, COAL INDIA LTD. जैसी बडी नवरत्न कम्पनियॉ भी विनिवेश व हिस्सेंदारी बेचकर निजि क्षेत्र में दिऐ जाने का निर्णय।

महोदय, उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि सभी सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की कार्यवाही चल रही है और जैसा कि श्रीमान को विदित है कि इसका सीधा–सीधा नुकसान अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को होगा क्योंकि निजिकरण होने पर इनमें भर्ती किऐ जाने वाले पदों में कोई आरक्षण नही होगा और इस प्रकार यह संविधान में प्रदत्त आरक्षण के मौलिक अधिकार का उल्लधंन किए जाने की प्रकिया होगी।

अतः आज पूरे देश के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में निजीकरण के खिलाफ व पूना पैक्ट के तहत सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण को हो रहे नुकसान के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है।

Sest AM Raj

महोदय, इस सम्बन्ध में देश के इतिहास को देखने समझने की आवश्यकता है जब वर्ष 1932 में बाबा साहेब डॉ. बी आर अम्बेडकर के द्वारा लन्दन में गोलमेज सम्मलेन के दौरान कम्युनल अवार्ड घोषित करने की मांग की जिसके परिणामस्वरूप 17 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र अधिकार देते हुए कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा करने के बाद दलितों को आरक्षित सीटों पर अलग निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि खुद चुनने का हक मिलने के साथ ही सामान्य जाति के निर्वाचन क्षेत्रों में सवर्णों को चुनने के लिए दो वोट का अधिकार भी दिया गया। महात्मा गांधी ने दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार देने के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में 18 अगस्त 1932 से आमरण अनशन शुरु कर दिया। जब गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी तब बाबा साहेब अम्बेडकर पर दलित और शोषित वर्ग के अधिकारों से समझौता करने को लेकर प्रेशर बनाया जाने लगाए। यही नहीं कई जगह बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और यहां तक कि उनके पुतले भी फूंके गए। इस दौरान कई जगहों पर सामान्य जाति के लोगों ने दलितों की बस्तियां तक जला डालीं तब यह सब देखकर बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर कुछ बड़े दलित नेताओ के साथ 24 सितंबर, 1932 को पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। जहां दलित वर्ग के अधिकारों को लेकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया।

पूना पैक्ट के बाद दलितों को अलग निर्वाचन और दो वोट के अधिकार की जगह दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलो में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई । इन सीटों को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया और केन्द्रीय विधायिका में 18 फीसदी सीटें आरक्षित कर दी गईं। पूना पैक्ट के तहत पृथक निर्वाचक मंडल व दो मतों के अधिकार के बदले में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को सरकारी नौकरियो में उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान हुआ लेकिन अब इसके खिलाफ अनेकों सवाल उठाये जाते है। पूना पैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में समझौता नहीं था बल्कि यह दो समुदायों के बीच में समझौता था जिसे दो समुदायों की सहमति से ही खतम किया जा सकता है लेकिन अब कोई भी इसे चैलेंज कर देता है। माननीय न्यायालय भी आरक्षण के खिलाफ आदेश देते रहते है तथा सरकारें व राजनेता भी इसे खतम करने के लिए संविधान समीक्षा की बात करते रहते है। **अतः अब यदि निजीकरण के माध्यम से या किसी भी स्तर पर नियुक्ति या पदोन्नती मे आरक्षण के साथ छेड–छाड की जाती है तो यह हमारे साथ धोखा है व पूना पैक्ट का उल्लंघन है तथा इस उल्लंघन के बाद बाबा साहेब की पृथक निर्वाचक मंडल व दो मतों के अधिकार की मांग जिन्दा हो जाती है।**

अतः आज दिनांक 24.09.2020 को ऐतिहासिक पूना पैक्ट दिवस पर अनूसूचित जाति जन जाति आरक्षण मंच राजस्थान निम्न मांग करता है–

1. भारतीय रेल सहित सभी सरकारी उपक्रमों मे निजीकरण व निगमीकरण को तत्काल बंद किया जाये, रेलों को प्राइवेट ऑपरेटर को सौंपने के निर्णय को वापस लिया जाये।
2. भारतीय रेल में 50% रिक्त पदों को समाप्त करने के निर्णय को वापस लिया जाये जिनमें आरक्षित पद भी शामिल हैं।
3. निजी क्षेत्र व न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाये एवं इंडियन जुडिशल सर्विसेज का गठन किया जाये जिसका कि भारतीय संविधान में पहले से ही प्रावधान है।
4. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का आरक्षण का प्रतिशत बढाकर 17 प्रतिशत व 9 % किया जाये क्योंकि लोकसभा व विधानसभा में तदनुसार आरक्षित सीट पहले ही बढ़ा ली गयी हैं।

5. भारत में समान शिक्षा लागू की जाये। शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद किया जाये। गरीब व अमीर दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े।
6. पदोन्नति में आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए 117वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाये जो कि 2012 में राज्यसभा में पहले ही पास हो चूका है।
7. जमीन का समान बंटवारा किया जाये व सभी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर में आरक्षण लागू किया जाये। क्योंकि कुछ वर्गों को इनमे अपरोक्ष रूप से आरक्षण दें रखा है।
8. पूना पैक्ट शत प्रतिशत लागू हो वरना बाबा साहेब की पृथक निर्वाचक मंडल व दो वोट के अधिकार की मूल मांग पूरी हो।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामलों पर गम्भीरता से विचार कर उक्त मांगों पर तत्काल कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

सधन्यवाद।

भवदीय

(.....) (.....)

महासचिव **अध्यक्ष**

अनुसूचित जाति जन जाति आरक्षण मंच राजस्थान जिला शाखा–.....

scst AM Raj

प्रति :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त सांसद, लोकसभा व राज्यसभा, राजस्थान।
2. सम्पादक.....समाचार पत्र/टीवी चेनल